न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–रायसेन R 1029-PBR/17

मोहर सिंह पुत्र श्री रामप्रसाद दांगी
निवासी–ग्राम बाढेर तहसील गैरतगंज
जिला–रायसेन (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1– रामबाबू पुत्र श्री बद्री प्रसाद
2– लखनलाल पुत्र श्री बद्री प्रसाद
3– लखन सिंह पुत्र श्री भोग चन्द्र दांगी
निवासीगण – ग्राम बाढेर तहसील गैरतगंज
जिला–रायसेन (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा देवनगर तहसील गैरतगंज जिला द्वारा प्रकरण क्रमांक 4/ए–6/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 03.02.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

द्वारा आज दि. 31-3-17 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1029-पीबीआर/17 (मोहरसिंह/रामबाबू आदि) जिला रायसेन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-3-2018	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । तहसील न्यायालय के आदेशिका दिनांक 3-2-17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आदेशिका में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, जिससे आवेदक के हित प्रभावति होते हों । तहसील न्यायालय मात्र हल्का पटवारी का प्रतिवेदन प्राप्त होने, अनावेदक पक्ष की ओर से मूल रजिस्ट्री प्रस्तुत करने एवं आवेदक को सूचना दिये जाने का उल्लेख किया गया है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	